HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal No. 1986/2026
CNR: RJHC020814302026 | URN: SOSA / 3339U / 2026

Balveer @ Ballu Sansi S/o Hakam Singh Sansi, R/o Ganpati Colony, Chhabra, District Baran, Rajasthan.
(Appellant Is Confined In Jail, Baran)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री समर्थ शर्मा
For Respondent(s)	:	श्री मानवेन्द्र सिंह, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/10/2026

1. यह प्रकरण अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई हेतु सूचीबद्ध था। तथापि, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से अपील को गुण–दोष के आधार पर सुना तथा इस आदेश द्वारा अपील का निस्तारण किया जा रहा है।

2. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 415 के अंतर्गत प्रस्तुत उक्त आपराधिक अपील में विद्वान विचारण न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, छाबड़ा, जिला बारां द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 36/2023 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2026 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 सपठित धारा 120–बी व धारा 380 सपठित धारा 120–बी भारतीय दंड संहिता के अपराधों में दोषसिद्ध कर निम्नानुसार दण्डादेश से दण्डित किया गया हैः–

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 सहपठित धारा 120–बी के अंतर्गतः–

Digitally signed by
RAMESHWAR
PRASAD
Date: 2026.10.31
13:19:20 IST

5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/– रुपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।

<u>भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 सहपठित धारा 120–बी के अंतर्गतः–</u>

4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/– रुपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।

समस्त सजाएं साथ–साथ चलाए जाने का आदेश दिया गया।

3. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952 के नियम 311(3) के अंतर्गत प्रमाण–पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान तथा अपील के दौरान जमानत पर थे और वर्तमान में अभिरक्षा में निरुद्ध हैं।

4. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त बलवीर उर्फ बल्लू सांसी पुत्र हाकम सिंह सांसी लगभग 9 माह 7 दिन की अवधि तक अभिरक्षा में रह चुका है। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से सीमित प्रार्थना की गई है कि उनकी दोषसिद्धि को यथावत रखते हुए और इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रकरण वर्ष 2023 की घटना से संबंधित है, उन पर अधिरोपित सजा को उनके द्वारा पूर्व में भुगती गई सजा की अवधि तक सीमित किया जाए।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया गया।

6. बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

7. यह न्यायालय **Alister Anthony Pareira vs. State of Maharashtra, (2012) 2 SCC 648** तथा **Haripada Das vs. State of W.B., (1998) 9 SCC 678** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से अवगत है, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया हैः–

Alister Anthony Pareira

> "There is no straitjacket formula for sentencing an accused on proof of crime. The courts have evolved certain principles: twin objective of the sentencing policy is deterrence and correction. What sentence would meet the ends of justice depends on the facts and circumstances of each case and the court must keep in mind the gravity of the crime, motive for the crime, nature of the offence and all other attendant circumstances."

Haripada Das

> "…considering the fact that the respondent had already undergone detention for some period and the case is pending for a pretty long time for which he had suffered both financial hardship and mental agony and also considering the fact that he had been released on bail as far back as on 17-1-1986, we feel that the ends of justice will be met in the facts of the case if the sentence is reduced to the period already undergone…"

8. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से की गई सीमित प्रार्थना तथा उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आपराधिक अपील का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त की उपर्युक्त अपराधों में दोषसिद्धि को यथावत रखा जाता है, उन्हें उन पर अधिरोपित सजा को उनके द्वारा पूर्व में भुगती गई सजा की अवधि तक सीमित किया जाता है। यदि अपीलार्थी/अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए, बशर्ते कि वे किसी अन्य प्रकरण में संबद्ध न हों।

9. उपरोक्त अनुसार उक्त अपील निस्तारित की जाती है।

10. प्रकरण से संबंधित समस्त लंबित प्रार्थना पत्र, यदि कोई हों, तो निस्तारित किए जाते हैं।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

92/RAMESHWAR PRASHAD